



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1414]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932

No. 1414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

(आयकर)

का.आ. 1667(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित ब्यौरों के साथ वित्तीय द्वितीय ट्रांश बांड विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

- (क) बाण्ड का नाम भारत सरकार की पूलड वित्त विकास योजना के तहत कर मुक्त पूलड वित्त विकास बाण्ड (द्वितीय ट्रांश)।
- (ख) जारी करने वाला प्राधिकारी जल एवं स्वच्छता पूलड निधि, तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु राज्य के लिए राज्य पूलड वित्त संस्था के रूप में पदनामित है।
- (ग) प्रयोजन तमिलनाडु की जल पूर्ति योजना एवं धू-मल व्ययन योजना के अधीन सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को अंशतः निधि प्रदान करना।
- (घ) बाण्ड की अवधि पांच वर्ष के मूल अधिस्थगन काल के साथ दस वर्ष।
- (ङ) कुल निर्गम मात्रा तिरासी करोड़ उन्नीस लाख रुपये मात्र।
- (च) ब्याज आठ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं।

(2) उक्त बाण्ड निम्नलिखित के अधीन विनिर्दिष्ट हैं:—

- (i) शहरी विकास मंत्रालय के संकल्प सं. के-14011/40/01-यूडी. II (वालयूम. III), दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 द्वारा अधिसूचित पूलड वित्त विकास योजना हेतु दिशानिर्देशों में दी गई शर्तें तथा शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. के-14011/40/01-यूडी. II (वालयूम. III), दिनांक 7-6-2007 द्वारा परिचालित कर मुक्त पूलड वित्त विकास बाण्ड को जारी करने हेतु दिशानिर्देश; एवं
- (ii) यह शर्त कि वे सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से बारह महीनों की अवधि के भीतर जारी किए जाएं।

[अधिसूचना सं. 52/2010/फा. सं. 164/1/2010-आ.क.नि-1]  
पदम सिंह, अवर सचिव (आ.क.नि.-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2010

(Income-tax)

S.O. 1667(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vii) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the second tranche bond with the following particulars for the purpose of the said sub-clause, namely:—

- (a) Name of the bond Tax Free Pooled Finance Development Bonds under Pooled Finance Development Fund Scheme of Government of India (Second Tranche).

- (b) Issuing Authority **Water and Sanitation Pooled Fund, Tamil Nadu designated as State Pooled Finance Entity for the State of Tamil Nadu.**
- (c) Purpose **To part fund the projects implemented by seven Urban Local Bodies under Water Supply Scheme and Under Ground Sewerage Scheme of Tamil Nadu.**
- (d) Tenure of the bond **Ten years with five years principal moratorium.**
- (e) Total issue size **Eighty three crores nineteen lakhs only.**
- (f) Interest **Not exceeding eight per cent per annum.**

2. The said Bonds are specified subject to:—

- (i) the conditions laid down in the Guidelines for the Pooled Finance Development Scheme notified *vide* Resolution No. K-14011/40/01-UD. II (Vol. III), dated 25th October, 2006 of the Ministry of Urban Development and the Guidelines for issue of tax-free Pooled Finance Development Bonds circulated *vide* OM F.No. K-14011/40/01-UD/II (Vol. IV), dated 7-6-2007 of the Ministry of Urban Development; and
- (ii) the condition that they are issued within a period of twelve months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[Notification No. 52/2010/F. No. 164/1/2010-ITA-I]

PADAM SINGH, Under Secy. (ITA.I)